

प्रेषक,

**रवि नाथ,**

प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय, महाराजगंज।

सेवा में,

**महानिबन्धक,**

माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक: 38/1 / पारि0न्या0 / महाराजगंज / दिनांक मार्च 19, 2024

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-328 / IIV-3518 / Admin(A-4) दिनांक 13-03-2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो विषय अनुमति अमेरिका राष्ट्र के जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08-06-2024 से दिनांक 18-06-2024 तक अपने बड़े भाई के बेटे के विवाह में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

आपके उपरोक्त पत्र के अनुपालन में प्रार्थी निम्नलिखित विवरण आन लाईन ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-558/XXXIII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 31-08-2019 के अनुपालन में वांछित सूचना का विवरण माननीय न्यायालय के C.L.संख्या-16/IV F-101/Admin(A) दिनांकित 27-05-2017 प्रस्तुत कर रहा है।

- 1- यह कि प्रार्थी के अमेरिका राष्ट्र जाने में भारत देश व उत्तर प्रदेश को कोई भी तथा किसी भी प्रकार का के अनुचित स्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा।
- 2- प्रार्थी को कभी भी ऐसे अनुमति से अस्वीकार नहीं किया गया है।
- 3- प्रार्थी अमेरिका राष्ट्र अपने इकलौते जेष्ठ भाई श्री कवि नाथ से मिलने वर्ष 2013 में, इस न्यायालय से अनुमति लेकर अपने परिवार के साथ गया था और अनुमति अवधि के भीतर वापस भारत देश में आकर मुख्यालय में अपनी सेवा में सम्मिलित हुआ। अमेरिका राष्ट्र में प्रार्थी के जेष्ठ भाई व कनिष्ठ बहन निवास करते हैं, वर्ष 1983 तथा वर्ष 1997 से और उन्ही के घरों में प्रार्थी अपने परिवार के साथ रहता था।
- 4- वर्तमान विवाह में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थी का लगभग चार लाख रुपये का व्यय होगा, जो मुख्यतः भारत से अमेरिका जाने में व वापस आने में होगा। चूंकि अमेरिका में प्रार्थी अपने परिवार के साथ अपने भाई के घर में रहेगा और वहीं उनके रहने खाने पीने तथा अन्य खर्चों का वहन करेंगे। प्रार्थी के बैंक एकाउन्ट में वांछित धनराशि उपलब्ध है, उपरोक्त खर्चों के वहन करने हेतु। सत्यापित पास पार्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।
- 5- प्रार्थी के पास पोर्ट की सत्य प्रतिलिपि जिसमें प्रार्थी के पक्ष में अमेरिका राष्ट्र द्वारा वांछित बीजा लगा हुआ है। सत्यप्रतिलिपि संलग्न है।
- 6- प्रार्थी के एकल जेष्ठ भाई की बेटे के विवाह के निमंत्रण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रार्थी को वांछित अनुमति शीघ्र तिथि में प्रस्तुत करने की कृपा करें, क्योंकि प्रार्थी ने अभी तक अमेरिका जाने का टिकट क्रय नहीं किया है और दिन प्रतिदिन इस टिकट के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है, जिससे प्रार्थी को अधिक धन में टिकट क्रय करना पड़ेगा।

सादर।

दिनांक: 19-03-2024

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,  
(रवि नाथ) 19/3/24  
प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय, महाराजगंज।  
**प्रधान न्यायाधीश**  
**पारिवारिक न्यायालय महाराजगंज**